न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

225RTA2021-414Ju2022-218 Bagaram vs Manoharlal etc

बागाराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति विश्नोई, निवासी- जम्भेश्वर नगर (भेड़) तहसील औसियां जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मनोहरलाल पुत्र सांवताराम जाति विश्नोई
2. सहीराम पुत्र श्री मंगलाराम जाति विश्नोई, निवासी- जम्भेश्वर नगर (भेड़) तहसील औसियां जिला जोधपुर।
3. रूखमण पत्नी श्री मंगलाराम जाति विश्नोई, निवासी- जम्भेश्वर नगर (भेड़) तहसील औसियां जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार औसियां

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां दिनांक 24 फरवरी 2020 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2015 मनोहरलाल बनाम बागाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री गिरधर सिंह भाटी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री, रोशन लाल अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 18 नवंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40/2015 मनोहरलाल बनाम बागाराम इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 24 फरवरी 2020 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 01 दिसंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट द्वारा अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खेत खसरा नं. 214/6 रकबा 21.14 बीघा मौजा जम्भेश्वर नगर तहसील औसियां में आवागमन हेतु अपीलांट के खेत खसरा नं. 213 में सें 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24 फरवरी 2020 को प्रत्यर्थी संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अपीलांट/अप्रार्थीगण का ग्राम जम्भेश्वर नगर तहसील औसियां जिला जोधपुर के खसरा नं. 213 रकबा 15.08 बीघा भूमि का खातेदारी है। मेरे खेत के पश्चिम दिशा में खसरा नं 214 आया हुआ है। खसरा नं. 214 में जाने के लिए पहलसे से ही खसरा नं. 213/3 में सें अन्य कटाण रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त बिंदु पर गौर किय बिना ही आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुने बिना तथा उसे किसी प्रकार का नोटिस दिये विना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपने प्रार्थना पत्र में 15 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने की इस्तदुआ की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने 20 फीट चौड़ा रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी

खातेदार के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, जबकि खसरा नं. 214 में जाने के लिए 2-3 रास्ते है।· उक्त बिंदु पर गौर किये बिना ही आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी ने खसरा नं. 213 में सें नजरी नक्शे में ए से बी रास्ता मांगा है, जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने सी से डी रास्ता दिया है, जहॉ से किसी प्रकार का रास्ता नहीं चलता है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में मौका रिपोर्ट हेतु दिनांक 31.03.2020 निर्धारित पेशी थी लेकिन दिनांक 24.02.2020 को ही उक्त आदेश पारित कर दिया। खसरा नं. 214/6 रकबा 21.06 बीघा में छः खातेदार है। सभी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना ही आदेश पारित किया है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट पर नोटिस की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। कोविड 19 महामारी के कारण अपीलांट अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अपीलांट को ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन हाल ही में पता चलने पर अपीलांट द्वारा प्रथम ज्ञान होने पर यह अपील तैयार कर प्रथम जानकारी की दिनांक से अंदर म्याद प्रस्तुत की है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व रेवेन्यू बोर्ड ने अपने निर्णय नजीरों में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि प्रकरण को मैरिट पर निर्णित करना चाहिए एवं म्याद के बिंदु पर नम्र रूख अपनाते हुए म्याद को क्षमा करना चाहिए। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर न्याय हित में अपील अपीलांट अंदर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 फरवरी 2020 को अपास्त फरमाया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने निवेदन किया रेस्पोडेंट के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई निकटतम एवं वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट द्वारा चाहे गये रास्ते पर प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते अपीलांट द्वारा निर्माण कार्य कर देने से विचारण न्यायालय द्वारा मार्क सी से डी रास्ता दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्यक रूप से सम्मन तामील करवाये गये। तामीली के बावजूद भी अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/रेस्पोडेंट की समुचित सुनवाई कर विधिसम्मत लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया हैं। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधि होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में विलंब का प्रश्न है, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते अपीलांट समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। लिहाजा अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं अपील क गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अपीलांट की तामीली हेतु भेजे गये सम्मन की रिपोर्ट अपीलांट स्वयं घर पर नहीं मिलने पर उसकी एक फर्द आबाद मकान पर चस्पानगी के साथ विचारण न्यायालय को प्राप्त हुई, जो प्रथमदृष्टया व्यक्तिगत तामील नहीं होने से सम्यक तामील की श्रेणी में नहीं आता है।

अपीलांट का उज्र है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु 2013/3 में सें तथा अन्य कटाण रास्ते है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ते के अलावा मौके पर मौजूद अन्य विकल्पों बाबत मौका रिपोर्ट तलब नहीं किया जाना पाया जाता है तथा प्रार्थी/रेस्पोडेंट की 15 फीट चौड़ाई के रास्ते की इस्तदुआ से अधिक 20 चौड़ा रास्ता प्रदान किया गया जो विधिसम्मत नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अन्य विकल्पों पर गौर किये बिना, अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नही होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24 फरवरी 2020 को खारिज किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों बाबत उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका जांच करवाकर निकटतम रास्ता विनिश्चित करे तथा निकटतम दूरी वाला विकल्प चुनकर रास्ते की समुचित चौड़ाई निर्धारित करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी

करे। साथ ही अपीलांट को हिदायत है कि यदि मौके पर रास्ता चालू है तो रेस्पोडेंट के आवागमन में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.11.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर